हुक्म का तामीलकर्ता एवं इनीशियल्स जज

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1/9/20

[illegible]
27.10.20

1/10/20

[illegible]
2/12/20

1/12/20

[illegible]
2/3/21

2/3/21 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र 4 वर्ष से अधिक टोकना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक को तात्कालीक रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा की जरूरत नहीं है। अतः आवेदक का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना खारिज किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के बाद होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर